# कार्यालय, नगर पालिक निगम, (छ.ग.)

## भवन अनुज्ञा के एकल भूखंडों हेतु चेक लिस्ट

(स्वीकृत अभिन्यास के प्रकरण) जिसमें कालोनी विकास अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

1. नगर निगम का आवेदन पत्र का सेट।
2. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।
3. बैनामा की प्रति / लीज डीड अथवा पट्टे की प्रति।
4. स्वीकृत अभिन्यास पर भूखंड की स्थिति।
5. भवन के मानचित्र की पांच प्रतियां जिसमें एक प्रति क्लाथ बाइडिंग हो।
6. कालोनी विकास की अनुमति प्रमाण-पत्र तथा बंधक भूखंडों की जानकारी।

टीप :- प्रथम तल प्रस्तावित की स्थिति में भूतल की स्वीकृत मानचित्र संलग्न करना होगा।

## -: भवन अनुज्ञा के एकल भूखंडों हेतु चेक लिस्ट :-

### अवैध कालोनी जिसका नियमितिकरण हो चुका है

1. आवेदन पत्र नगर निगम के निर्धारित प्रपत्र में।
2. बैनामा की प्रति।
3. डायवर्सन प्रमाण पत्र की प्रति।
4. भवन के मानचित्र की पांच प्रतिया जिसमें एक प्रति क्लॉथ बाइडिंग हो।

## -: भवन अनुज्ञा के एकल भूखंडों हेतु चेक लिस्ट :-

### गृह निर्माण सहकारी समितियों के अनुमोदित अभिन्यास के भूखण्डों के लिए

1. आवेदन पत्र नगर निगम के निर्धारित प्रपत्र में।
2. बैनामा की प्रति।
3. डायवर्सन प्रमाण पत्र की प्रति।
4. अभिन्यास में भूखण्ड की स्थिति दर्शाकर।
5. नजूल से एन.ओ.सी.।
6. सोसाइटी की एन.ओ.सी.।
7. भवन के मानचित्र की पांच प्रतिया जिसमें एक प्रति क्लॉथ बाइडिंग हो।

## ग्रुप हाऊसिंग एवं बहुमंजिले फ्लैट निर्माण के प्रकरण, कालोनी विकास की अनुमति हेतु

1. कालोनाईजर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति।
2. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुज्ञा एवं अभिन्यास की प्रति।
3. जलप्रदाय, जलमल निकासीड्रेनेज डस्ट, अग्निशमन व्यवस्था, जल व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएँ दर्शाते हुए रेखांक।
4. पार्किंग के संबंध में पूर्ण विवरण एवं मानचित्र।
5. आंतरिक विकास कार्यो का प्राक्कलन।
6. डायवर्सन प्रमाण–पत्र की प्रति।
7. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।
8. 25 प्रतिशत बंधक रखे जाने वाले फ्लैट का विवरण मानचित्र में दर्शाते हुए।
9. अभिन्यास एवं मानचित्र की पांच प्रतियां।

## ग्रुप हाऊसिंग एवं बहुमंजिले फ्लैट निर्माण के भवन अनुज्ञा प्रकरणों के लिए

1 भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।

2 नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुज्ञा एवं अभिन्यास की प्रति।

3 कालोनी विकास अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति।

4 बंधक रखे भूखंडों/फ्लैटों की जानकारी मानचित्र पर अंकित कर।

5 12 मीटर से ऊंचे भवनों के प्रकरणों के साथ सर्विस प्लॉन भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें नाली, सीवर लाईन, ड्रेनेज, डक्ट, अग्निशमक व्यवस्था, जल व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं अन्य सुविधाएं दर्शाये गये हों।

6 नगर निगम में पंजीकृत संरचना इंजीनियर से भवन के स्ट्रक्चरल डिजाईन करनें बाबत् सहमति पत्र।

# कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, नया प्रशासनिक भवन, छोटा पारा, गांधी चौक, रायपुर (छ.ग.)
'71–2535780,90,फैक्स :077172227395; ई:मेल dc_rmc@reddiffmail.com


## छत्तीसगढ विधानसभा सचिवालय

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | प्रश्न क्रमांक | — | 538 |
| (2) | विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि | — | 09/03/2015 |
| (3) | सदन में उत्तर देने की तिथि | — | 16/03/2015 |
| (4) | वर्ग जिसके लिये वह तिथि नियत है | — | वर्ग–03 |

**नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग**

विषय – राजधानी रायपुर अंतर्गत वैध/अवैध कालोनियां।

श्री टी.एस. सिंहदेव (तारांकित प्रश्न)

| *प्रश्न* | *उत्तर* |
|---|---|
| (क) राजधानी रायपुर में कितनी वैध कालोनिया एवं कितनी अवैध कालोनियां है ? | (क) राजधानी रायपुर के नगर निगम सीमा अंतर्गत कुल 480 वैध कालोनी चिन्हांकित किया गया है, उनमें से छ.ग. कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्ते नियम 1998 के अंतर्गत कालोनाईजरों को दी गई अनुमति से 435 कालोनी **(परिशिष्ट–1)**, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 16 कालोनी **(परिशिष्ट–2)**, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित 13 कालोनी **(परिशिष्ट–3)** एवं 1998 के पूर्व सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निर्मित 16 कालोनी सम्मिलित है। **(परिशिष्ट–4)** एवं कुल 380 अवैध कालोनी चिन्हांकित किया गया है। जिसमें 261 अवैध कालोनी का छ.ग. कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्ते नियम 1998 के नियम 15(क) के तहत नियमितिकरण किया गया है। **(परिशिष्ट–5)** कुल 66 अवैध कालोनियों पर नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292, 326 सहपठित धारा 328 के तहत कार्यवाही की गई है **(परिशिष्ट–6)** एवं ऐसे अवैध कालोनियॉ जिन पर कार्यवाही नही की गई है उसकी संख्या 53 है। **(परिशिष्ट–7)** |
| (ख) वर्ष 2008 से 2014 तक रायपुर जिलान्तर्गत कितनी कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित किया गया है ? | (ख) राजस्व विभाग के डायवर्सन शाखा से संबंधित है। |

| | |
|---|---|
| (ग) वर्ष 2013 एवं 2014 में रायपुर जिलान्तर्गत कृषि भूमि पर बिल्डरों द्वारा प्लाटिंग तथा भवन निर्माण किये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर बिल्डरों पर क्या कार्यवाही की गई ? बिल्डरों के नाम सहित जानकारी देवें ? | (ग) वर्ष 2013 एवं 2014 में रायपुर नगर निगम सीमा में किसानों की भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता श्री विरेन्द्र कुमार यादव निवासी खम्हारडीह, रायपुर के द्वारा भाठागांव में किसानों की भूमि पर अवैध प्लाटिंग किये जाने की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए स्थल पर रोड बनाने हेतु डाले जाने वाले मुरूम को जब्त किया गया एवं मुख्य मार्ग से उक्त प्लाटिंग स्थल पर जाने वाले रोड को काटकर आवागमन बाधित किया गया। अवैध प्लाटिंगकर्ता एवं भू–स्वामी के संबंध में जानकारी हेतु तहसीलदार जिला रायपुर को जोन कार्यालय द्वारा पत्र कमाक 889 दिनांक 01.01.2015 को प्रेषित किया गया। साथ ही प्राप्त शिकायत संबंधित भूमि पर रजिस्ट्री न करने एवं पूर्व में की गई रजिस्ट्री की जानकारी के संबंध में उप–पंजीयक रायपुर को जोन कार्यालय द्वारा पत्र क. 944 दिनांक 12.02.2015 को पत्र प्रेषित किया गया। **(परिशिष्ट–8)** |

अपर आयुक्त एवं नोडल अधिकारी
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर
## जोन क्रमांक – 06

क्रमांक 1079 / जो.क्र.6 / भ.नि.अ.वि. / न.पा.नि. / 16 रायपुर, दिनांक 01/03/2016

प्रति,

नोडल अधिकारी
स्मार्ट सिटी मिशन

विषयः– मिशन स्मार्ट सिटी फेस–II अंतर्गत रायपुर द्वितीय प्रतिस्पर्धा के संशोधित प्रस्ताव तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक /Q/नपानि./Smart City/2016, रायपुर दिनांक 26.02..2016.

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख्य है कि 20 स्मार्ट सिटी की सूची एवं 23 फास्ट ट्रेक अपग्रडेशन सिटी की सूची अनुसार एवं भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी की कार्यशाला दिनांक 22.02.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जानकारी निम्नानुसार हैः–

Avrage time taken for approval of maps

| विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| 0 to 2000 Sq.fit | 18 to 22 Days | 17 to 23 Days | 15- 20 Days |
| Above 2000 Sq.fit | 23 to 29 Days | 20 to 25 Days | 25 to 27 Dasys |

939
02/03/16

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक 6
नगर पालिक निगम, रायपुर